Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में पुलिस थाना तूंगा का सहायक उपनिरीक्षक पुलिस व उसका दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**

जयपुर, *10 मई, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जयपुर नगर–चतुर्थ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये छाजूलाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना तूंगा, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर एवं उसके दलाल दीपक सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर–चतुर्थ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज मुकदमें में मदद करने की एवज में छाजूलाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना तूंगा, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर द्वारा उसके दलाल दीपक सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर नगर–चतुर्थ इकाई की **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना भाटी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मूलचंद** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल दीपक सिंह पुत्र श्री कैलाश सिंह निवासी ग्राम तूंगी पोस्ट तूंगा, बस्सी, जिला जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **10 हजार रूपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोपी छाजूलाल शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल निवासी नरहरिपुरा, तहसील चाकसू, थाना शिवदासपुरा, जयपुर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना तूंगा, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर को भी गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सहायक उपनिरीक्षक द्वारा परिवादी की धारा 151 जा.फौ. में गिरफ्तारी के समय जामा तलाशी में मिले **10 हजार रुपये** पहले ही रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।